सं.ए-45011/2/2019-प्रशा.III

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

****

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2019

कार्यालय ज्ञापन

मुझे आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित अगस्त, 2019 माह के दौरान महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार के अवर्गीकृत भाग की प्रति परिचालित करने का निदेश हुआ है।

(सुरिन्दर पाल सिंह)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष : 23092100

सेवा में,

1. केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. भारत के राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
3. भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव, 6, मौलाना आजाद मार्ग, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाऊस, नई दिल्ली।
5. प्रधानमंत्री के निजी सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. मंत्रिमंडल सचिव के निजी सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
7. उपाध्यक्ष, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
8. सभी सदस्य, नीति आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली।
9. सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारत सरकार, नई दिल्ली।
   सचिव(आर्थिक कार्य) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(राजस्व) के प्रधान निजी सचिव, सचिव(व्यय) के प्रधान निजी सचिव,वित्त राज्य मंत्री के विशेष कार्याधिकारी।
10. मुख्य आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
11. अपर सचिव(श्री ए. गिरिधर), मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
12. डॉ. सी.एस. महापात्रा, अपर सचिव, आर्थिक कार्य विभाग।
13. श्री के. राजारामन, अपर सचिव (प्रशासन और निवेश), आर्थिक कार्य विभाग।
14. श्री समीर कुमार खरे, अपर सचिव (एफबी एंड एडीबी), आर्थिक कार्य विभाग।
15. श्रीमती मीरा स्वरूप, अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त)।
16. श्री संजीव सान्याल, प्रधान आर्थिक सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
17. आर्थिक कार्य विभाग के सभी प्रभागाध्यक्ष।
    संयुक्त सचिव(बजट)/संयुक्त सचिव(सी एंड सी/ यूएन एंड ओएमआई)/संयुक्त सचिव (आईपीएफ)/ संयुक्त सचिव (एफएम)/संयुक्त सचिव(बीसी एंड आईईआर)/सलाहकार(आईईआर)/संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार(वित्त)/सीएए।
18. सुश्री राजश्री रे, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
19. डॉ. शशांक सक्सेना, सलाहकार (एफएसआरएल), आर्थिक कार्य विभाग।
20. श्री अरूण कुमार, सलाहकार, आर्थिक कार्य विभाग।
21. श्री राजेश मल्होत्रा, अपर महानिदेशक(एम एंड सी), वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
22. गार्ड फाइल-2019

सं. ए-45011/2/2019-प्रशासन(।।।)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

विषय: अगस्त, 2019 माह के दौरान आर्थिक कार्य विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के संबंध में मासिक सार।

1. वृहत आर्थिक सिंहावलोकन

1.1 31 अगस्त, 2019 को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के संबंध में जारी किए गए अनुमान के अनुसार 2019-20 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में जीडीपी में, पिछले वर्ष की इसी तिमाही में दर्ज की गई 8 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 5 प्रतिशत वृद्धि हुई।

1.2 2019-20 की पहली तिमाही में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्रों में क्रमश: 2.0 प्रतिशत, 2.7 प्रतिशत और 6.9 प्रतिशत की क्षेत्रीय वृद्धि के साथ 4.9 प्रतिशत सकल मूल्य वृद्धि (जीवीए) हुई।

1.3 वर्ष 2018-19 के राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों के अनुसार 2018-19 में जीडीपी में 6.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2016-17 और 2017-18 में जीडीपी क्रमश: 8.2 प्रतिशत और 7.2 प्रतिशत के साथ अधिक रही।

1.4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नई श्रृंखला-संयुक्त) पर आधारित हैडलाइन मुद्रास्फीति जुलाई, 2018 में 4.2 प्रतिशत की तुलना में जुलाई, 2019 में 3.1 प्रतिशत थी। थोक मूल्य सूचकांक(डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मूद्रास्फीति जुलाई, 2018 में 5.3 प्रतिशत की तुलना में जुलाई, 2019 में 1.1 रही। जून 2019 में औद्योगिक श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई-आईडब्ल्यू के रूप में मुद्रास्फीति जून, 2018 में 3.9 प्रतिशत की तुलना में 8.6 प्रतिशत थी। जुलाई, 2019 में कृषि श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्रमश: 6.2 प्रतिशत और 6.0 प्रतिशत रही।

1.5 अगस्त 2019 में पॉलिसी रेपो दर 5.75 प्रतिशत से 35 बीपीएस कम हो कर 5.40 प्रतिशत हो गई। यह 2019 में मौद्रिक नीति समिति द्वारा की गई चौथी कटौती थी । 23 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की आधार दर 24 अगस्त 2018 के 8.75/9.45 प्रतिशत की तुलना में 8.95/9.40 प्रतिशत रहा। 23 अगस्त, 2019 को 10 वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियां 24 अगस्त, 2018 के 7.86 प्रतिशत की तुलना में 6.57 प्रतिशत रही।

1.6 व्यापार घाटा बढ़ने के कारण चालू खाता घाटा 2017-18 में (जीडीपी का 1.8 प्रतिशत) 48.7 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्ष 2018-19 में बढ़कर 57.2 बिलियन अमरीकी डालर (जीडीपी का 2.1 प्रतिशत) हो गया। भारत का व्यापार घाटा 2017-18 में 160.00 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़कर 2018-19 में 180.3 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। मुख्य रूप से निवल सेवा अर्जनों के 2017-18 में 77.6 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 81.9 बिलियन अमरीकी डालर और निजी अंतरण प्राप्तियों में वर्ष 2018-19 में 70.6 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त के कारण 2018-19 में निवल अदृश्य प्राप्तियां उच्च रहीं। वर्ष 2018-19 में निवल एफडीआई अंतर्वाह 2017-18 मे 30.3 बिलियन अमरीकी डालर से थोड़े अंतरों से बढ़कर 30.7 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। पोर्टफोलियो निवेश में एक वर्ष पूर्व 22.1 बिलियन अमरीकी डालर के अंतर्वाह की तुलना में 2018-19 में 2.4 बिलियन अमरीकी डालर का निवल बर्हिवाह दर्ज किया गया। वर्ष 2018-19 में विदेशी मुद्रा भंडार में 3.3 बिलियन अमरीकी डालर (बीओपी आधार पर) की कमी आई।

1.7 भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च अंत, 2019 के 412.9 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर से 17.6 बिलियन अमरीकी डालर की बढ़त दर्शाते हुए 16 अगस्त, 2019 की स्थिति के अनुसार 430.5 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। जुलाई, 2019 में 68.81 रुपए प्रति अमरीकी डालर की तुलना में रुपए की औसत मासिक विनिमय दर (संदर्भ दर) अगस्त, 2019 माह में 71.14 रुपए प्रति अमरीकी डालर रही।

1.8 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (वर्ष 2011-12 की नई श्रृंखला पर आधारित) द्वारा जारी त्वरित अनुमानों के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में जून, 2018 में 7.0 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में जून, 2019 में 2.0 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई। अप्रैल-जून, 2019-20 की अवधि हेतु औद्योगिक बढ़त अप्रैल-जून, 2018-19 के दौरान हुई 5.1 प्रतिशत की बढ़त की तुलना में 3.6 प्रतिशत थी। अप्रैल-जुलाई 2019-20 के दौरान आठ मुख्य उद्योगों ने

जुलाई 2018 में 7.3 प्रतिशत की तुलना में जुलाई, 2019 में 2.1 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की। मुख्य उद्योगों की बढ़त अप्रैल-जुलाई, 2018-19 के दौरान 5.9 प्रतिशत की तुलना में अप्रैल-जुलाई 2019-20 3.0 प्रतिशत रही।

1.9 भारत का व्यापारिक माल निर्यात जुलाई, 2018 के दौरान 25.7 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 2.2 प्रतिशत की बढ़त दर्शाते हुए जुलाई, 2019 के दौरान 26.3 बिलियन अमरीकी डालर रहा। भारत का आयात जुलाई, 2018 में 44.4 बिलियन अमरीकी डालर के आयात मूल्य के स्तर की तुलना में 10.4 प्रतिशत घटकर जुलाई 2019 के दौरान 39.8 बिलियन अमरीकी डालर हो गया। भारत का तेल आयात जुलाई, 2019 के दौरान 9.6 बिलियन अमरीकी डालर रहा जो कि जुलाई 2018 में 12.3 बिलियन अमरीकी डालर की तुलना में 22.1 प्रतिशत कम था।

1.10 व्यापार घाटा जुलाई, 2018 के दौरान 18.6 बिलियन अमरीकी डालर के घाटे की तुलना में जुलाई, 2019 में 13.4 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

1.11 जून, 2019 के दौरान सेवाओ का निर्यात और आयात क्रमश: 18.6 बिलियन अमरीकी डालर और 11.8 बिलियन अमरीकी डालर रहा। जून, 2019 के लिए सेवाओं में व्यापार शेष 6.8 बिलियन अमरीकी डालर अनुमानित था।

2. अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रम

2.1(क)(i) 2019-20 के बजट भाषण में एनबीएफसी हेतु डीआरआर की जरूरत को हटाने की घोषणा की गई। इसके पश्चात आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय से अनुरोध किया कि बजट घोषणा के कार्यान्वयन तथा सूचीबद्ध कंपनियों हेतु 0(शून्य) प्रतिशत और गैर-सूचीबद्ध कंपनियों (एनबीएफसी से अलग) हेतु पांच प्रतिशत की डीआरआर आवश्यकता के निर्धारण हेतु कंपनी (शेयर, पूंजी और ऋण-पत्र) नियम, 2014 के संबंधित अनुबंधों में संशोधन पर विचार किया जाए। कॉपोरेट मामला मंत्रालय ने दिनांक 16 अगस्त, 2019 के राजपत्र अधिसूचना के द्वारा कंपनी (शेयर पूंजी और ऋणपत्र) संशोधन नियम, 2019 की शुरूआत की जिसके माध्यम से सरकार ने सूचीबद्ध कंपनियों, एनबीएफसी और एचएफसी के लिए डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व आवश्यकताएं हटा दीं और साथ ही गैर सूचीबद्ध कंपनियों हेतु डीआरआर आवश्यकताओं को भी पूर्व के 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया।

(ii) सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमों, 2014 में सरलीकरण हेतु उसका पुनर्निमाण करने के लिए सेबी को सुझाव देने हेतु श्री एच.आर.खान, उप गवर्नर(सेवानिवृत्त) भारतीय रिजर्व बैंक की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट 24 मई, 2019 को प्रस्तुत की। सेबी बोर्ड ने दिनांक 21.8.2019 को हुई अपनी बैठक में कार्यदल की अनुशंसाओं पर विचार किया और विनियमों की नई प्रस्तावित सूची का अनुमोदन किया। प्रस्तावित विनियमों के तहत मुख्य बिन्दु प्रचालनात्मक बाध्यताओं और अनुपालनात्मक आवश्यकताओं में ढील देने की दृष्टि से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों हेतु विद्यमान विनियामक ढांचे को सरल और व्यावहारिक बनाना है। गत वर्ष में एफपीआई के संबंध में जारी 57 परिपत्रों और 183 एफएक्यू को नए विनियमों और एकल परिपत्र में मिला दिया गया है। संशोधित विनियमों में से कुछ मुख्य पहलुओं मे शामिल हैं: पंजीकरण प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना, अनुपालन संबंधी आवश्यकताओं में ढील देना, दस्तावेजीकरण आवश्यकताओं को सरल बनाना आदि।

(iii) 21 अगस्त, 2019 को सेबी बोर्ड ने म्युचुअल फंडों द्वारा ऋण के निवेश और मूल्यांकन और रोकड़ बाजार उपकरणों हेतु प्रुडेंशियल मानदंडों के संदर्भ में सेबी (म्युचुअल फंड) विनियमों, 1996 में संशोधनों हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन किया है जैसा कि दिनांक 27 जून, 2019 को हुई सेबी बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया था, हालांकि म्युचुआल फंड को स्कीम की ऋण पोर्टफोलियो के अधिकतम 10 प्रतिशत तक के गैर सूचीबद्ध अपरिवर्तनीय डिबेंचरो में निवेश करने की छूट देने का भी निर्णय लिया गया था बशर्ते कि गैर सूचीबद्ध एनसीडी मे ऐसे निवेश सरल ढांचे वाले हों जिन्हें समय-समय पर अधिसूचित किया गया हो, उनकी रेटिंग की गई हो और सुरक्षित मासिक कूपन वाले हों। इस पर जून, 2020 तक चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

(ख) केन्द्रीय बजट 2019-20 में हुई घोषणा के अनुसरण में वित्तीय सेवाएं विभाग के सहयोग से दिनांक 10.8.2019 को पाक्षिक ऋण गारंटी के संबंध मे एक योजना जारी की गई थी। इस योजना से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक चालू वित्त वर्ष के दौरान वित्तीय रूप से मजबूत स्थिति वाले एनबीएफसी के उच्च दर वाली परिसंपत्तियां खरीद पाएंगे जिनकी कुल कीमत एक लाख करोड़ रु. होगी जिसमें सरकार 10 प्रतिशत तक के पहले घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को एकबारगी छह महीने की पाक्षिक साख गारंटी देगी।

2.2(क) आर्थिक कार्य विभाग और केएफडब्ल्यू के बीच 'तमिलनाडु के मुख्य शहरों में बस सेवाओं का जलवायु अनुकूल आधुनिकीकरण' नामक परियोजना हेतु निम्न करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) दिनांक 26.8.2019 को 200 मिलियन यूरो ऋण के ऋण-करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ii) दिनांक 30.08.2019 को 3 मिलियन यूरो अनुदान के वित्त करार पर हस्ताक्षर किए गए।

ऋण करार के मुख्य बिन्दुओं में एक यह था कि इसमें 0.00 ब्याज दर के साथ हस्ताक्षर किया गया।

(ख) ऊर्जा पर्यावरण और सतत् शहरी विकास के क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय सहायता परियोजनाओं हेतु 737.20 मिलियन यूरो की प्रतिबद्धता को अंतिम रूप देने के लिए दिनांक 30.08.2019 को भारत और जर्मनी के बीच वित्तीय सहयोग 2018 हेतु सरकार से सरकार के बीच अम्ब्रेला करार पर हस्ताक्षर किए गए।

2.3. माली में 2500 हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हेतु स्थायी गांव की स्थापना करने और प्रकाशवोल्टीय प्रौद्योगिकी के बीच उपयोग हेतु माली सरकार को माह के दौरान 22.00 मिलियन अमरीकी डॉलर की राशि की ऋण श्रृंखला का विस्तार किया गया।

2.4. अगस्त, 2019 के दौरान निम्न बैठकें आयोजित की गई:-

i. अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ बनाने के लिए उपायों पर विचार करने हेतु दिनांक 08.08.2019 को माननीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में उद्योगों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई।

ii. श्री ताकेहिको नकाओ, प्रसिडेंट, एडीबी ने 27 से 30 अगस्त, 2019 के दौरान भारत का दौरा किया। उन्होंने दिनांक 28 अगस्त, 19 को माननीय वित्त मंत्री और सचिव (आर्थिक कार्य) से भी मुलाकात की और एशियाई विकास बैंक वित्तपोषण संबंधी मामलों पर चर्चा की।

iii. दिनांक 20 अगस्त-3 सितंबर 2019 के बीच भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के बीच अनुच्छेद IV वार्षिक पर विचार विमर्श हुआ और सचिव (आर्थिक कार्य) ने भारतीय अर्थव्यवस्था, सुधार पहलों और विकास संभावनाओं पर विचार करने के लिए दिनांक 27 अगस्त, 2019 को आईएमएफ मिशन टीम के साथ वार्ता की।

iv. श्री के. राजारामन अपर सचिव (निवेश) आर्थिक कार्य विभाग ने वाणिज्य सचिव के साथ बीजिंग, चीन में 2-3 अगस्त, 2019 को हुई 8वीं मंत्रालयीन बैठक में भाग लिया।

v. श्री सुरिन्दर पाल सिंह, संयुक्त सचिव (एफटी), आर्थिक कार्य विभाग ने दिनांक 20-22 अगस्त, 2019 को नई दिल्ली में भारत-पेरू व्यापार करार के 5वें दौर की वार्ता में भाग लिया।

vi. श्री अनबर शेख, निदेशक (आईआईटीएफ), आर्थिक कार्य विभाग ने आरसीईपी टीएनसी की छठी अंतरसत्रीय बैठक और जकार्ता, इंडोनेशिया में दिनांक 22-25 अगस्त, 2019 को हुई संबंधित बैठक में भाग लिया।

vii. वित्तीय क्षेत्र (सर्टफिन) हेतु कंप्यूटर इमरजेन्सी रिसपांस टीम स्थापित करने हेतु आगामी योजना पर वार्ता के लिए दिनांक 06 अगस्त, 2019 को अपर सचिव (एफएस और सीएस) की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई थी।

viii. श्री रजत कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव ने कोलंबो, श्री लंका में 22-24 अगस्त, 2019 को हुई एसडीएफ की 10वीं वित्त और लेखा समिति और एसडीएफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की 31वीं बैठक में भाग लिया।

3. न्यूनतम सरकार, अधिकतम अभिशासन

विशेषकर, सूचना के प्रस्तुतीकरण में आईसीटी के उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

4. एसीसी के निदेशों/आदेशों का पालन न किया जाना

शून्य।

5. माह के दौरान स्वीकृत किए गए एफडीआई प्रस्ताव और विभाग में अनुमोदन हेतु लंबित एफडीआई प्रस्तावों की स्थिति

स्वीकृत किए गएः	00
विभाग में अनुमोदन हेतु लंबितः	07

****